

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-कपासन/अनु.कार्य./2017/68 जयपुर,दिनांक: 5.11.18

:: आदेश ::

श्री जगदीश भाणोदा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को निलम्बित करने के लिए जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 967 दिनांक 23.11.2017 की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ को उनके आदेश क्रमांक 967 दिनांक 23.11.2017 के क्रम में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कपासन (चित्तौडगढ़) / चित्तौडगढ़
5. श्री जगदीश भाणोदा, पंचायत प्रसार अधिकारी (निलम्बित), पंचायत समिति कपासन (चित्तौडगढ़) हॉल मुख्यालय पंचायत समिति चित्तौडगढ़ ।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त